



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2002/कार्तिक 29, 1924

No. 299]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2002/KARTIKA 29, 1924

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2002

पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों बिछाने के लिए दिशानिर्देश

फा. सं. पी-20012/5/99-पीपी.—भारत सरकार पेट्रोलियम उत्पाद लाइनें बिछाने के लिए जनहित में निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करता है। ये दिशानिर्देश सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

पाइपलाइनों का श्रेणीकरण

1. पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों का श्रेणीकरण निम्नानुसार किया जाएगा:-
 - (1) रिफाइनरियों से निकलने वाली तटीय और जमीनी पाइपलाइनें जो रिफाइनरी से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तक की हों,
 - (2) किसी रिफाइनरी से अथवा तेल कंपनी के टर्मिनल से निकलने वाली उपभोक्ता विशेष को उत्पाद की आपूर्ति करने के लिए समर्पित पाइपलाइनें, और
 - (3) 300 कि.मी. से अधिक लंबी वे पाइपलाइनें जो रिफाइनरियों से निकलती हैं और उपर्युक्त (1) और (2) में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त बंदरगाहों से निकलने वाली पाइपलाइनें।

स्वामित्व और उपयोग

2. खंड 1 के उपखंड (1) और (2) में विनिर्दिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आने वाली पाइपलाइनों

के लिए पेट्रोलियम पाइपलाइन (जमीन में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 के तहत पाइपलाइनें बिछाने के लिए जमीन में प्रयोक्ता का अधिकार ऐसी पाइपलाइनों को निजी पाइपलाइनें मानने वाली आवेदक कंपनी के पक्ष में, अर्थात् प्रस्तावक कंपनी द्वारा उपयोग के लिए, प्रदान किया जाएगा।

3. खंड 1 के उपखंड (3) में विनिर्दिष्ट श्रेणी के तहत आने वाली पाइपलाइनों के लिए, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 के तहत पाइपलाइनों को बिछाने के लिए भूमि में प्रयोक्ता का अधिकार प्रदान करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

3.1 साझा उपयोग की उत्पाद पाइपलाइन बिछाने के लिए कोई प्रस्ताव किसी अकेले हितबद्ध पक्षकार या संयुक्त उद्यम (जिसे इसके बाद प्रस्तावक कहा गया है) से आरंभ हो सकता है।

3.2 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए तरीके से प्रस्ताव में हितबद्ध किसी भी पक्षकार से तीन महीनों की अवधि के भीतर हित की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने वाले प्रस्ताव का प्रचार करेगा। यदि कोई कंपनी पाइपलाइन में कोई हैसियत प्राप्त करने की इच्छुक हो तो यह अपना हित व्यक्त कर सकती है और यह प्रस्ताव के साथ "लो या भुगतान करो" या परस्पर रूप से सहमति योग्य कोई अन्य संविदा कर सकती है। पाइपलाइन के आकार और डिजाइन को प्रस्तावक द्वारा ऐसे सभी अनुरोधों पर विचार करने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

3.3 यदि प्रस्ताव का प्रचार करने के तीन महीनों की अवधि के भीतर किसी भी औद्योगिक पक्षकार से हित की कोई अभिव्यक्ति प्राप्त नहीं होती है, तो प्रस्तावक परियोजना पर कार्य आरंभ करने के लिए स्वतंत्र होगा।

3.4 निर्दिष्ट पाइपलाइन क्षमता प्रस्तावक और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार खंड 3.2 के तहत क्षमता लेने वाले पक्षकारों की क्षमता से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक होगी।

3.5 पाइपलाइन पर स्वामित्व, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या औद्योगिक पक्षकार पाइपलाइन क्षमता लेता है (लेते हैं) या नहीं, प्रस्तावक का होगा या प्रस्तावक द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर होगा।

3.6 खंड 3.4 में वर्णित अतिरिक्त क्षमता कामन कैरियर आधार पर खंड 4 के तहत उपबंधों के अनुसार अनुमोदित प्रशुल्क पर खंड 3.2 के तहत स्वामी और क्षमता लेने वाले पक्षकारों के अलावा किसी के भी द्वारा उपयोग हेतु उपलब्ध होगी अर्थात् क्षमता किसी भी इच्छुक और प्रशुल्क का भुगतान करने का प्रस्ताव करने वाले पक्षकार को उपलब्ध होगी। यदि मांग अतिरिक्त क्षमता से अधिक हो तो अतिरिक्त क्षमता का आबंटन खंड 3.2 के तहत स्वामी और क्षमता लेने वाले पक्षकारों के अलावा इच्छुक प्रयोक्ताओं के बीच यथानुपातिक होगा।

प्रशुल्क

4. सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से आरंभ की गई और खंड (1) के उपखंड (3) में निर्दिष्ट श्रेणी में आने वाली पाइपलाइनों के लिए प्रशुल्क, उन विनियमों के नियंत्रण आदेशों के अधीन होगा जो सरकार या सांविधिक प्राधिकरण द्वारा इसके बतौर वर्तमान में प्रभावी किसी कानून के तहत जारी किए जाएंगे।

प्रयोक्ता के अधिकार के अर्जन के अधीन शर्तें

5. पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 के तहत उपयोग के अधिकार का अर्जन ऐसी शर्तों के अध्याधीन होगा जो सरकार द्वारा जन-हित में ठीक समझी जाएंगी। ऐसी शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित सम्मिलित हैं:

- 5.1 वन-क्षेत्रों, वन्य-जीव/समुद्र तटीय अभयारण्यों/पाकों, निषिद्ध/प्रतिबंधित क्षेत्रों इत्यादि के संबंध में आने वाले अर्जित प्रयोक्ता के अधिकार के भागों की अन्य रूचिबद्ध पक्षकारों के साथ हिस्सेदारी।
- 5.2 ऐसी स्थिति में कि यदि ऐसी पाइपलाइन का मार्ग/की सीध दूसरी पाइपलाइन को पार करती है तो ऐसी पाइपलाइन को पार करने वाले बिन्दुओं के विषय में निर्णय संबंधित पक्षकारों के बीच पारस्परिक समझौते के द्वारा किया जाएगा, इसमें विफल होने की स्थिति में मामला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

विविध

- 6.1 ये दिशानिर्देश पेट्रोलियम नियामक बोर्ड का गठन होने तक प्रभावी रहेंगे।
- 6.2 पेट्रोलियम नियामक बोर्ड का गठन होने के पश्चात, पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार पेट्रोलियम नियामक विधि के तहत जरूरतों को पूरा करने की शर्त पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- 6.3 ये दिशानिर्देश संबंधित विषय पर प्रचलित किन्हीं अन्य दिशानिर्देशों का स्थान लेंगे।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th November, 2002

GUIDELINES FOR LAYING PETROLEUM PRODUCT PIPELINES

F. No. P-20012/5/99-PP.— The Government of India are pleased to issue, in public interest, the following guidelines for laying petroleum product lines. These guidelines will come into effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Categorization of Pipelines

1. The petroleum product pipelines would be categorized as follows :-
 - (i) Pipelines originating from refineries, whether coastal or inland, upto a distance of around 300 kilometers from the refinery;
 - (ii) Pipelines dedicated for supplying product to particular consumer, originating either from a refinery or from oil company's terminal; and
 - (iii) Pipelines originating from refineries exceeding 300 Km in length and pipelines originating from ports, other than those specified in (i) & (ii) above.

Ownership and access

2. Right of user (RoU) in land for laying pipelines under the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of User in Land) Act 1962 for the pipelines falling under category specified in sub-clauses (i) & (ii) of clause 1, will be granted in favour of applicant company treating such pipelines as captive pipelines i.e. for exclusive use by the proposer company.
3. For grant of RoU in land for laying pipelines under the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of User in Land) Act 1962 for the pipelines falling under the

category specified in sub-clause (iii) of clause 1, the following procedure will be followed :

- 3.1 A proposal for laying common usage product pipeline could originate from any single interested party or a joint-venture (herein after referred to as proposer).
- 3.2 The Ministry of Petroleum and Natural Gas shall publicize, in such manner as the Ministry may decide, the proposal inviting expression of interest, within a period of three months from anyone interested in the proposal. In case any company is interested in taking any capacity in the pipeline, it could express its interest and enter into "take or pay" or any other mutually agreeable contract with the proposer. The pipeline size and design would be finalized by the proposer after taking into consideration all such requests.
- 3.3 In case, no expression of interest is received from any industry player within a period of three months of publicizing the proposal, the proposer would be at liberty to go ahead with the project.
- 3.4 The designed pipeline capacity would be at least 25% more than the capacity requirement of the proposer and of those who take capacity under clause 3.2, as may be decided by the Ministry of Petroleum and Natural Gas.
- 3.5 The ownership of the pipeline would be that of the proposer or as may be decided by the proposer, irrespective of whether the other industry player(s) take pipeline capacity or not.

3.6 The excess capacity, as mentioned in clause 3.4, would be available for use by anyone, other than the owner and those taking capacity under clause 3.2, at the approved tariff, as per the provisions under clause 4, on "common carrier" basis i.e. capacity would be made available to anyone interested and offering to pay the tariff. In case such demand exceeds this excess capacity, the allocation of the excess capacity would be pro-rated amongst the interested users other than the owner and those taking capacity under clause 3.2.

Tariff

4. Tariff for the pipelines commissioned after the date of publication of this notification in the Official Gazette and falling in the category specified in sub-clause (iii) of clause 1, will be subject to the control orders or the regulations that may be issued by the Government or the statutory authority in this behalf under any law for the time being in force.

Conditions under RoU acquisition

5. The ROU acquisition under the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 will be subject to such conditions as may be deemed fit by the Government in public interest. Such conditions may inter alia include the following:

5.1 Sharing of portions of acquired ROU falling in forest areas, wild-life/marine sanctuaries/parks, prohibited/restricted areas, etc. with the other interested parties.

5.2 In case the route/alignment of the pipeline crosses another pipeline route/alignment, the points of crossing would be decided by mutual agreement between the parties, failing which the matter will be referred

to the Ministry of Petroleum and Natural Gas whose decision will be final.

Miscellaneous

- 6.1 These guidelines will remain in force till the Petroleum Regulatory Board is constituted.
- 6.2 After Petroleum Regulatory Board is constituted, the RoU in land for laying petroleum product pipelines will be granted by the Ministry of Petroleum & Natural Gas subject to fulfillment of requirements under the petroleum regulatory law.
- 6.3 These guidelines will supercede any other guidelines prevailing on the subject.